लोक शिक्षण संचालनालय

गौतम नगर, भोपाल म.प्र.

educationportal.mp.gov.in

क्र/एनसी/स्थापना/2021/101 भोपाल दिनांक 27/10/2022

प्रति,

1. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक
   लोक शिक्षण मध्यप्रदेश
2. समस्त, जिला शिक्षा अधिकारी,
   मध्यप्रदेश

विषय :- स्थानांतरण नीति 2022 के तहत जारी ऑनलाइन स्थानांतरण आदेश के पालन में कार्यमुक्ति/जॉइनिंग करने संबंधी निर्देश ।

संदर्भ:- 1. संचालनालय का पत्र क्र./एजुकेशन पोर्टल/MIS/2021-22/83 भोपाल दिनांक 19/09/2022

2. शासन का पत्र क्रमांक एफ 01-09/2022/20-01 भोपाल दिनांक 19/09/2022

3. संचालनालय का पत्र क्र/CMRISE/स्थापना/2022/37 भोपाल दिनांक 21/10/2022

--00--

विभागीय स्थानांतरण नीति 2022 अंतर्गत संबंधितों को उनके ऑनलाइन डिजिटल हस्ताक्षरित स्थानांतरण आदेश एम. शिक्षा,मित्र एप के माध्यम से उनके लॉग इन आई डी पर उपलब्ध कराये गए हैं। उक्त के अनुक्रम में संबंधित लोकसेवकों को कार्यमुक्त किये जाने के संबंध में निम्नानुसार आवश्यक निर्देश / स्पष्टीकरण जारी किये जाते हैं :-

1. संचालनालय के संदर्भित पत्र दिनांक 21/10/2022 द्वारा निर्देशित किया गया था कि उन्हें कार्यमुक्त न किया जाए । उक्त निर्देशों में आंशिक संशोधन किया जाता है कि CMRISE विद्यालयों, उत्कृष्ट विद्यालय, मॉडल स्कूलों में कार्यरत चयनित एवं नवनियुक्त शिक्षक जिनका स्थानांतरण हुआ है उन्हें इस सत्र की समाप्ति तक भारमुक्त न किया जाए । उन्हें शैक्षणिक सत्र 2022-23 समाप्ति उपरांत स्थानांतरित संस्था के लिए कार्यमुक्त किया जायेगा । शेष सभी शिक्षक जिनमे नवनियुक्त शिक्षक भी सम्मिलित हैं उन्हें कार्यमुक्त किया जाना सुनिश्चित करें ।
2. पत्र दिनांक 19/09/2022 द्वारा एजुकेशन पोर्टल पर शालावार शिक्षकों की पदस्थापना अद्यतन किये के निर्देश दिए गए थे। स्थानांतरण आदेश जारी करते समय जिले के द्वारा शालाओं में शैक्षणिक अमले की पदस्थापना एवं जानकारी अद्यतन स्थिति के आधार पर ही ऑनलाइन स्थानांतरण की प्रक्रिया सम्पादित की गयी है, अतः किसी भी लोकसेवक को होल्ड पर नहीं रखा जाएगा। राज्य स्तर से जारी होने वाले समस्त स्थानांतरण आदेशों का पालन सुनिश्चित किया जाये।

3. स्थानांतरित लोक सेवकों की सूची एवं आदेश संबंधित संकुल प्राचार्यों / जिला शिक्षा अधिकारी के लॉग इन में प्रदर्शित होते हैं | अतः समस्त जिला शिक्षा अधिकारी / संकुल प्राचार्य तत्काल सर्वसम्बंधित को कार्यमुक्त किया जाना सुनिश्चित करेंगे |
4. समस्त ऑनलाइन स्थानांतरण आदेशों द्वारा स्थानातरित लोकसेवकों को अनिवार्य रूप से कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित किया जाए | कठिनाई की स्थिति में कार्यभार ग्रहण कराने के उपरान्त ही संचालनालय को अवगत कराया जाए |
5. स्थानांतरित शिक्षकों की कार्यमुक्ति एजुकेशन पोर्टल के Employee relieving Order management system (EROMS) के माध्यम से संबंधित संकुल प्राचार्य द्वारा किया जाना है | संकुल प्राचार्य की यह ज़िम्मेदारी होगी कि संबंधित आवेदक द्वारा अपने ऑनलाइन आवेदन में उल्लेखित किये गए दस्तावेज़ों का परीक्षण करें एवं परीक्षण उपरांत सही पाए जाने पर भारमुक्त करने की कार्यवाही की जावे | यदि परीक्षण में कोई तथ्य त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता है तो उक्त तथ्य को पोर्टल पर स्पष्ट रूप से अंकित करें, ताकि प्रकरण में वरिष्ठ स्तर से निर्णय लिया जा सके |
6. कार्यमुक्त शिक्षकों की नवीन पदांकित संस्था पर कार्यभार ग्रहण की कार्यवाही एजुकेशन पोर्टल के Employee Joining management system के माध्यम से संबंधित संकुल प्राचार्य द्वारा किया जाना है | संकुल प्राचार्य की यह ज़िम्मेदारी होगी कि संबंधित आवेदक द्वारा अपने ऑनलाइन आवेदन में उल्लेखित किये गए दस्तावेजों का परीक्षण करें एवं परीक्षण उपरांत सही पाए जाने पर शाला में उपस्थिति की रिपोर्टिंग की जाए | यदि परीक्षण में कोई तथ्य त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता है तो उक्त तथ्य को पोर्टल पर स्पष्ट रूप से अंकित करें, ताकि प्रकरण में वरिष्ठ स्तर से निर्णय लिया जा सके |
7. संबंधित ज़िला शिक्षा अधिकारी द्वारा संकुल स्तर से कार्यमुक्त, कार्यभार ग्रहण की प्रगति की प्रतिदिन ऑनलाइन मोनिटरिंग सुनिश्चित करेंगे तथा यह देखेंगे की किसी लोकसेवक को अनावश्यक रूप से भारमुक्त होने से रोका तो नहीं जा रहा है , ऐसे प्रकरण यदि वरिष्ठ कार्यालय के ध्यान में लाना आवश्यक हो तो वरिष्ठ कार्यालय के संज्ञान में लाते हुए त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित करें |
8. कार्यमुक्त और कार्यभार ग्रहण कराते समय यह सुनिश्चित किया जाये की कोई लोकसेवक जनजातीय कार्य विभाग का न हो | ऐसी स्थिति में उक्त शिक्षकों को कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जावे |
9. स्थानांतरित शिक्षक का ऑनलाइन आवेदन करने के बाद शाला का संकुल परिवर्तन हुआ है तो संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा संकुल स्तर पर समन्वय स्थापित कर स्थानांतरित शिक्षक को कार्यमुक्त एवं कार्यभार ग्रहण कराया जाए |

उक्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित करते हुए तत्काल कार्यवाही करने का कष्ट करें |

(अभय वर्मा)

आयुक्त,

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

पृष्ठां क्र/एनसी/ए/स्थापना/2021/102 भोपाल दिनांक 27/10/2022

प्रतिलिपि:-

1. निज सहायक, माननीय राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा विभाग, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. समस्त कलेक्टर म. प्र.।
4. प्रबंध संचालक MPSEDC की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. समस्त विकासखंड शिक्षा अधिकारी / संकुल प्राचार्य की ओर पालनार्थ।

आयुक्त,
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश